भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1415

गुरूवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

रामायण सांस्कृतिक पर्यटन कॉरिडोर

1415 # श्री संजय कुमार झाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन मॉडल को वैश्विक ब्रांडिंग हेतु एक विशेष अभियान के रूप में बढ़ावा दे रही है;

(ख) क्या बिहार में जनकपुर-सीतामढ़ी-मधुबनी मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय रामायण सांस्कृतिक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या ग्रामीण और होमस्टे पर्यटन उद्यमिता के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन सहित समग्र रूप से देश के विविध पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करता है। यह संवर्धन यात्रा कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के आयोजन एवं सहभागीदारी; मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सहायता प्रदान करना; आतिथ्य कार्यक्रम के तहत देश की यात्रा के लिए प्रभावशाली हस्तियों, टूर ऑपरेटरों, पत्रकारों और राय निर्माताओं को आमंत्रित करना, राज्य सरकारों और विदेश स्थित भारतीय मिशनों आदि के सहयोग से वेबसाइट एवं सोशल मीडिया संबंधी संवर्धनों के द्वारा विभिन्न आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से किया जाता है।

(ख): पर्यटन मंत्रालय में जनकपुर-सीतामढ़ी-मधुबनी मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय रामायण सांस्कृतिक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे के विकास' (स्वदेश दर्शन की एक उपयोजना) के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इस योजना में उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय समुदायों के

लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने एवं हितधारकों को जनजातीय गांवों में स्थायी पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास करने की परिकल्पना की गई है। यह योजना ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रू. तक, प्रत्येक घर के लिए दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रू. तक और प्रत्येक घर के लिए मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में होमस्टे की स्थापना में सहायता और प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में होमस्टे के लिए संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण के रूप में मुद्रा ऋण की भी घोषणा की है।

****